सत्ताईसवां प्रतिवेदन

याचिका समिति

(सत्रहवीं लोक सभा)

सहकारिता मंत्रालय

(28.03.2022 को लोक सभा को प्रस्तुत किया गया)

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मार्च, 2022

सीपीबी सं. 1 खंड XXVII

© 2022 लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम (सोलहवां संस्करण) के नियम 382 के अंतर्गत प्रकाशित.

विषय-सूची

पृष्ठ

याचिका समिति का गठन..... (i)

प्राक्कथन..... (ii)

प्रतिवेदन

सहारा क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, देवली (केकरी), क्षेत्र- अजमेर पर फिक्स्ड डिपॉजिट राशि का परिपक्वता पर भुगतान न करने और उससे संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर श्री वेद प्रकाश माथुर के अभ्यावेदन पर याचिका समिति (सत्रहवीं लोक सभा) के तेरहवें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई। 1

अनुबंध

(i) कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि एवं किसान कल्याण विभाग) का दिनांक 25.6.2021 का परिपत्र 41

(ii) याचिका समिति की 22.12.2021 को हुई 19वीं बैठक का कार्यवाही सारांश(संलग्न नहीं)

याचिका समिति का गठन

श्री हरीश द्विवेदी - सभापति

सदस्य

2. श्री एंटो एन्टोनी
3. श्री हनुमान बेनीवाल
4. डॉ. सुकान्त मजूमदार
5. श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक
6. श्री पी. रविन्द्रनाथ
7. श्री बृजेन्द्र सिंह
8. श्री सुशील कुमार सिंह
9. श्री मनोज तिवारी
10. श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा
11. श्री राजन विचारे
12. रिक्त
13. रिक्त
14. रिक्त
15. रिक्त

सचिवालय

1. श्री टी.जी.चन्द्रशेखर	-	संयुक्त सचिव
2. श्री राजू श्रीवास्तव	-	निदेशक
3. श्री जी.सी.डोभाल	-	अपर निदेशक
4. श्री हरीश कुमार सेठी	-	कार्यकारी अधिकारी

याचिका समिति का सत्ताईसवां प्रतिवेदन
(सत्रहवीं लोक सभा)

प्राक्कथन

मैं, याचिका समिति का सभापति समिति द्वारा उनकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किए जाने पर सहारा क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, देवली (केकरी), क्षेत्र-अजमेर पर फिक्स्ड डिपॉजिट राशि का परिपक्वता पर भुगतान न करने और उससे संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर श्री वेद प्रकाश माथुर के अभ्यावेदन पर याचिका समिति (सत्रहवीं लोक सभा) के तेरहवें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर समिति का यह सत्ताईसवां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) सभा में प्रस्तुत करता हूँ।

2. समिति ने 22 दिसंबर, 2021 को हुई अपनी बैठक में प्रारूप सत्ताईसवें प्रतिवेदन पर विचार किया और स्वीकार किया।

3. उक्त मुद्दों पर समिति की टिप्पणियां/सिफारिशें प्रतिवेदन में शामिल की गई हैं।

नई दिल्ली;
22 दिसंबर, 2021
1 पौष, 1943(शक)

श्री हरीश द्विवेदी,
सभापति,
याचिका समिति

प्रतिवेदन

सहारा क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, देवली (केकरी), क्षेत्र- अजमेर पर फिक्स्ड डिपॉज़िट राशि का परिपक्वता पर भुगतान न करने और उससे संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर श्री वेद प्रकाश माथुर के अभ्यावेदन पर याचिका समिति (सत्रहवीं लोक सभा) के तेरहवें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई।

याचिका समिति (सत्रहवीं लोक सभा) ने 11 फरवरी, 2021 को लोक सभा में अपना तेरहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जो सहारा क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, देवली (केकरी), क्षेत्र- अजमेर पर फिक्स्ड डिपॉजिट राशि का परिपक्वता पर भुगतान न करने और उससे संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर श्री वेद प्रकाश माथुर के अभ्यावेदन से संबंधित था।

2. समिति ने इस मामले में कतिपय टिप्पणियां/सिफारिशें की थीं और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग) से सिफारिशों को लागू करने के लिए कहा गया था और आगे समिति के विचारार्थ उस पर की गई कार्रवाई उत्तर प्रस्तुत करने का अनुरोध किया था।

3. उपरोक्त प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सभी टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में सहकारिता मंत्रालय [ऐसे विषय हेतु 06.07.2021 को अलग से एक केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय बनाया गया, पहले ऐसे विषय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा देखे जाते थे] के का.ज्ञा.सं. आर-11017/48/2018-एलएंडएम (भाग) दिनांक 10.09.2021 के माध्यम से की गई कार्रवाई उत्तर प्राप्त हुए हैं। समिति द्वारा की गई सिफारिशों और सहकारिता मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत उत्तरों को आगे के पैराग्राफ में विस्तार दिया गया है।

4. प्रतिवेदन के पैरा **20, 21, 22, 23, 24** और **25** में, समिति ने निम्नवत टिप्पणियां/सिफारिशें की थी:-

"बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों के व्यावसायिक मामलों की तुलना में केंद्रीय रजिस्ट्रार की भूमिका और कार्य

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग) द्वारा दी गई जानकारी से समिति नोट करती है कि केंदीय सहकारी सोसाइटी रजिस्ट्रार, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी)एमएससीएस (अधिनियम, 2002 के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियों को पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी करता है। बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत सहकारी समितियों/बैंकों के ब्यौरे के संबंध में 1986के बाद से मंत्रालय द्वारा प्रदत्त सूची के अनुसार 31.02.2020की स्थिति के अनुसार, ऋण उपभोक्ता, कृषि विपणन, कृषि, डेयरी, दुग्ध, आवास/ग्रुप हाउसिंग, कर्मचारी, क्रेडिट-थ्रिफ्ट, बैंक, श्रम, व्यापार, तकनीकी इंजीनियरिंग, औद्योगिक, परिसंघ, बहु-उद्देश्य, हथकरघा, विद्युत/सौर ऊर्जा, स्वास्थ्य आदि जैसे विभिन्न प्रचालन क्षेत्रों में वर्ष 1986से 1295सहकारी समितियां/बैंक पंजीकृत किए गए हैं। समिति आगे नोट करती है कि एमएससीएस अधिनियम, 2002 के अंतर्गत पंजीकृत बहुराज्य सहकारी समिति स्वायत्त सहकारी संगठन के रुप में कार्य करती है और उक्त अधिनियम के उपबंधों और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार इनके उप-नियम भी केंद्रीय रजिस्ट्रार द्वारा पंजीकृत किए जाते हैं। समिति यह भी नोट करती है कि एमएससीएस अधिनियम, 2002 की धारा 49के उपबंधों के अनुसार नए सदस्य बनाने, जमा राशि स्वीकार करने तथा उसका निवेश करने संबंधी कार्य और शक्तियां, सोसाइटी बोर्ड अर्थात् निदेशक मंडल/शासी निकाय के अंतर्गत आती है तथ सोसाइटी का दिन-प्रतिदिन प्रबंधन संबंधी कार्य उपरोक्त अधिनियम की धारा 52के प्रावधानों के अनुसार सोसाइटी के मुख्य कार्यपालक की शक्तियों और कार्यों के अंतर्गत आते हैं।

बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 की धारा 49बहुराज्य सहकारी समिति की शक्तियां और कृत्य निम्नानुसार निर्धारित करता है-:

"(1) बोर्ड ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा जो इस अधिनियम के अधीन उसके कार्यों को करने के प्रयोजनार्थ आवश्यक या समीचीन हों।

(2) पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी शक्ति में निम्नलिखित शक्ति भी होंगी, अर्थात्-:

)क(नए सदस्य बनाना;

)ख(संगठनात्मक उद्देश्यों का निर्वचन करना और उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित करना;

)ग(संचालनों का समय-समय पर आकलन;

)घ(सोसाइटी के मुख्य कार्यपालक और ऐसे अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति करना जिन्हें मुख्य कार्यपालक द्वारा नियुक्त किया जाना अपेक्षित नहीं है;

)ङ(बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के कर्मचारियों की नियुक्ति, वेतनमानों, भत्तों और सेवा की अन्य शर्तों को, जिनके अंतर्गत ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाइयां भी हैं, विनियमित करने के लिए उपबंध करना;

)च(वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक योजना और बजट को आम सभा की बैठक के अनुमोदनार्थ रखना;

)छ(संपरीक्षा और अनुपालन रिपोर्ट पर विचार करना और उन्हें आम सभा की बैठक के समक्ष रखना;

(ज) स्थावर संपत्ति का अर्जन या व्ययन करना;

(झ) अन्य सहकारियों में सदस्यता का पुनरीक्षण करना;

(ञ) वार्षिक और अनुपूरक बजट का अनुमोदन करना;

(ट) निधियां जुटाना;

(ठ) सदस्यों को ऋण मंजूर करना; और

(ड) ऐसे अन्य उपाय करना या ऐसे अन्य कार्य करना जो इस अधिनियम या उपविधियों के अधीन विहित किये जाएं या अपेक्षित हों या साधारण निकाय द्वारा प्रत्यायोजित किये जाएं ।"

बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 की धारा 52बहुराज्य सहकारी समिति के मुख्य कार्यपालक की शक्तियों और कृत्यों को निर्धारित करती है जो निम्नानुसार है-:

"मुख्य कार्यपालक, बोर्ड के सामान्य पर्यवेक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए निम्नलिखित विनिर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात्-:

(क) बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के कारोबार का दिन-प्रतिदिन का प्रबंध;

(ख) बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के लेखाओं का संचालन और नकद राशि की सुरक्षित अभिरक्षा का प्रबंध करने के लिए जिम्मेदार होना;

(ग) बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के लिए और उसकी ओर से दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना;

(घ) बहुराज्य सहकारी सोसाइटी की विभिन्न पुस्तकों और अभिलेखों को उचित रुप से बनाए रखने के लिए और इस अधिनियम, नियमों और उप-विधियों के उपबंधों के अनुसार आवधिक विवरणों और विवरणियों को ठीक से तैयार किए जाने, समय से प्रस्तुत किए जाने के लिए प्रबंध करना;

(ङ) बहुराज्य सहकारी सोसाइटी की आम सभा, बोर्ड और कार्यकारिणी समिति और धारा 53की उप-धारा (1)के अधीन गठित अन्य समितियों या उप-समितियों की बैठक बुलाना और ऐसी बैठकों का उचित रिकार्ड रखना;

(च) बहुराज्य सहकारी सोसाइटी की उपविधियों के अनुसार पदों पर नियुक्तियां करना;

(छ) नीतियों, उद्देश्यों और योजनाओं को बनाने में बोर्ड की सहायता करना;

(ज) बोर्ड को आवधिक जानकारी देना जो बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के संचालनों और कार्यों का आकलन करने के लिए आवश्यक हो;

(झ) ऐसा व्यक्ति नियुक्त करना जो बहु राज्य सहकारी सोसाइटी के निमित्त वाद लाएगा या जिस पर वाद लाया जाएगा;

(ञ) वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तीस दिन के भीतर बोर्ड के अनुमोदनार्थ प्रारूप वार्षिक रिपोर्ट और वित्तीय विवरण प्रस्तुत करना;

(ट) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना जो बहुराज्य सहकारी सोसाइटी की उप-विधियों में विनिर्दिष्ट की जाएं।

सहकारी समितियों द्वारा वार्षिक विवरणियां दाखिल करने के बारे में, समिति नोट करती है कि बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 की धारा 120के उपबंधों के अनुसार प्रत्येक बहुराज्य सहकारी समिति को प्रति वर्ष, लेखाकरण वर्ष समिति के छह महीनों के भीतर केंद्रीय रजिस्ट्रार के पास निम्नलिखित विवरणियां दाखिल करनी होती हैं-:

)क(कार्यकलापों की वार्षिक रिपोर्ट;

)ख(खातों के लेखा-परीक्षित विवरण;

)ग(साधारण निकाय द्वारा स्वीकृत अधिशेष के निपटारे हेतु योजना;

)घ(बहुराज्य सहकारी समिति के उप-नियमों में संशोधनों की सूची;

)ङ(आम सभा की बैठक और जहां चुनाव होने हैं, वहां चुनाव कराने के तारीख के बारे में घोषणा;

समिति कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय)कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग (द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार यह नोट करती है कि बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियिम, 2002 के उपबंधों के उल्लंघन की स्थिति में उक्त अधिनियम की धारा 86के अंतर्गत चूककर्ता सोसाइटियों

को बंद करने सहित एमएससीएस अधिनियम, 2002 की धारा 77,78 ,79 , 108के अंतर्गत किए गए उपबंध के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है। सहकारी समिति के बोर्ड और मुख्य कार्यपालक की शक्तियों और कृत्यों से संबंधित उपबंधों सहित बहुराज्य सहकारी समिति के पंजीकरण से लेकर चूककर्ता सोसाइटी को बंद करने के बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत उपर्युक्त उपबंधों का सावधानीपूर्वक अध्ययन करते हुए समिति यह पता कर आश्चर्यचकित है कि बहुराज्य सहकारी समिति के संबंध में यद्यपि 'सांविधिक रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण' होने के नाते केंद्रीय रजिस्ट्रार के पास विभिन्न वार्षिक विवरणियों/रिपोर्टों आदि को अनिवार्य रूप से दाखिल करने के द्वारा सोसाइटी बोर्ड अर्थात् निदेशक मंडल/शासी निकाय तथा मुख्य कार्यपालक के कार्यकरण का निरीक्षण करने की पर्यवेक्षी और विनियामक शक्तियां हैं, सोसाइटी के व्यावसायिक मामलों और दैनिक प्रबंधन के संबंध में सोसाइटी के अधीक्षण का पहलू सीमित प्रतीत होता है। केंद्रीय रजिस्ट्रार की 'सांविधिक शक्तियों" और 'प्रयोज्य शक्तियों' की बीच इस प्रकार की अस्पष्ट असमानता को ध्यान में रखते हुए समिति को अब विश्वास है कि सहारा क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी सहित विभिन्न सहकारी समितियां एक तरफ तो भोले-भाले ग्राहकों से उनकी मेहनत की कमाई को ठगने के लिए चालाकी भरे तौर-तरीके अपना लेगी और दूसरी ओर कुछ तकनीकी आधार पर कानून से बचने में सफल हो जाएंगी। समिति यह देख कर दुखी है कि सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के इस कदाचार को अलग करके नहीं देखा जाना चाहिए बल्कि अधिकतर कोऑपरेटिव सोसाइटीज ने विगत दो-तीन दशकों के दौरान यह जो बदहाली पैदा की है उसको कुशल और बेहतर ढंग से विनियमित किए जाने की आवश्यकता है। इसलिए समिति दृढ़तापूर्वक सिफारिश करती है कि मंत्रालय और अधिक कठोर नियम, विनियमन तथा दिशा निर्देशों के माध्यम से एक अभेद्य सुरक्षा कवच तैयार

करे ताकि गरीब और मध्यम आय वर्ग के लोगों को आगे धोखा न दिया जा सके।"

5. सहकारिता मंत्रालय ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया है:-

"यह प्रस्तुत किया जाता है कि सहकारिता सिद्धांतों के अनुसार, सहकारिता अपने सदस्यों द्वारा नियंत्रित लोकतांत्रिक संगठन हैं, जो अपनी नीतियों और निर्णय लेने में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। इन सहकारी समितियों के निर्वाचित प्रतिनिधि अपने सदस्यों के प्रति उत्तरदायी और जवाबदेह होते हैं। समिति का मुख्य उद्देश्य सदस्यों के हितों को पूरा करना और उनकी आर्थिक और सामाजिक बेहतरी को बढ़ावा देना है।

देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने और जमीनी स्तर तक इसकी पहुंच को व्यापक बनाने के लिए एक नया सहकारिता मंत्रालय बनाया गया है। साथ ही वर्ष **2021-22** की बजट घोषणा के अनुपालन में बहुराज्य सहकारी समितियों के विकास एवं प्रभावी निगरानी के लिए सहकारी समितियों के केन्द्रीय रजिस्ट्रार का पृथक कार्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव की पहल की गई है।"

6. प्रतिवेदन के पैरा **26** और **27** में, समिति ने निम्नवत टिप्पणियां/सिफारिशें की थी:-

"<u>अपने सदस्यों/निवेशकों के प्रति मल्टीस्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की जवाबदेही</u>

जैसा कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय)कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग (द्वारा सूचित किया गया है कि कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग ने **3.7.2017** को एक परिपत्र जारी किया है जिसमें सभी मल्टीस्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज को यह निर्देश दिया गया है कि वह अपनी शाखाओं के प्रवेश द्वार पर इस आशय का एक संदेश प्रदर्शित करें कि मल्टीस्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी स्वायत्तशासी सहकारी संगठन के

रूप में कार्य कर रही हैं और वह अपने सदस्यों के प्रति जवाबदेह हैं न कि सेंट्रल रजिस्ट्रार, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन हैं। इसलिए जमाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वह अपने जमा धन के निवेश के बारे में सोसाइटी के प्रदर्शन के आधार पर अपने जोखिम पर स्वयं निर्णय लें। सेंट्रल रजिस्ट्रार, कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय जमा-पूंजी के बारे में किसी तरह की कोई गारंटी नहीं देता है।

समिति का यह सुविचारित मत है कि मल्टीस्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने जमाकर्ताओं/निवेशकों/सदस्यों के साथ ऐसे पारदर्शी कारोबारी संबंध रखें जिसमें किसी तरह की अस्पष्टता या अनुचित बात न हो। इस तथ्य के बावजूद कि इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज की स्वायत्तता के बारे में संदेश प्रदर्शित करने के बाद भी इसके वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं तथा इन अधिकतर कोऑपरेटिव सोसाइटीज द्वारा भोले-भाले निवेशकों को लगातार धोखा दिया जा रहा है, समिति कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय)कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग (से यह अनुरोध करती है कि वह सभी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को यह निर्देश/विनिर्देश दे कि वह स्वयं को सेंट्रल रजिस्ट्रार अथवा राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र की कोऑपरेटिव सोसाइटी के रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत कराएं, अपनी "रजिस्टरिंग अथॉरिटी "तथा कोऑपरेटिव सोसाइटी के मामलों में सरकारी प्राधिकारी की कोई जवाबदेही न होने की बात को न केवल स्थानीय/क्षेत्रीय भाषाओं में प्रदर्शित करें बल्कि पब्लिक नोटिस के माध्यम से दृश्य मीडिया में भी इसे स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करें।"

7. सहकारिता मंत्रालय ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया है:-

"अनुशंसा के अनुपालन में, एक परिपत्र संख्या आर-11017/12(1)/2021-एलएंडएम दिनांक 25.06.2021 जारी किया गया है (अनुबंध-I)।"

.8 प्रतिवेदन के पैरा 28, 29, 30, 31 और 32 में ,समिति ने निम्नवत टिप्पणियां/सिफारिशें की थी-:

"<u>दोषी मल्टीस्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के विरुद्ध एमएससीएस एक्ट 2002 के अंतर्गत उपबंध</u>

समिति नोट करती है कि मल्टीस्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002 में दोषी मल्टीस्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के निरीक्षण, नियंत्रण और निर्देश जारी करने संबंधी अवशिष्ट/समग्र शक्तियों के बारे में निम्नलिखित धाराओं में उपबंध किए गए हैं-:

(क(धारा 48: बोर्ड में केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा नामांकित व्यक्ति

(ख(धारा 78: सेंट्रल रजिस्ट्रार द्वारा जांच पड़ताल

(ग(धारा 79: मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज का निरीक्षण

(घ(धारा 80: ऋणग्रस्त मल्टीस्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के खातों की जांच

(ड(. धारा 86: मल्टीस्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी को बन्द करना

(च(धारा 122: जनहित में विशिष्ट मल्टीस्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज को निर्देश देने संबंधी केंद्र सरकार की शक्ति

(छ(धारा 123: विशिष्ट मल्टी स्टेट को ऑपरेटिव सोसाइटी के बोर्ड का अधिक्रमण

मल्टीस्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के खातों आदि के निरीक्षण तथा मल्टीस्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002 की धारा 108 तथा 84 के अंतर्गत माध्यस्थम के माध्यम से विवादों के निपटान के संबंध में, समिति आगे नोट करती है कि कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने 29.05.2013 के अपने परिपत्र द्वारा सोसाइटी का निरीक्षण करने और 24.02.2003 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा आर्बिट्रेटर नियुक्त करने के बारे में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की कोऑपरेटिव सोसाइटीज के रजिस्ट्रार को शक्तियां सौंपी हैं।

यद्यपि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय)कृषि, सहकारिता एवं कृषक कल्याण विभाग (ने एमएससीएस एक्ट, 2002 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत सेंट्रल रजिस्ट्रार को अवशिष्ट/समग्र शक्तियों से संबंधित उपबंधों को सूचीबद्ध किया है तथा मल्टीस्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के कार्यकरण के निरीक्षण और नियंत्रण हेतु कोऑपरेटिव सोसाइटी के रजिस्ट्रार को शक्तियां सौंपी हैं, समिति यह देखकर दुखी है कि धोखाधड़ी, वित्तीय अनियमितताओं परिपक्वता अवधि पूरी होने पर जमा फिक्स डिपाजिट का भुगतान न करने/विलंब से भुगतान करने, भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (रेरा) के अंतर्गत परियोजना के पूर्व पंजीकृत न होने तथा सक्षम प्राधिकारी से मंजूरी प्राप्त किए बिना लेआउट प्लान को स्वीकृत कराए बगैर सीधे-सादे ग्राहकों को आमंत्रित करने में शामिल मल्टीस्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के कदाचार को चिन्हित करने और उसे विनियमित करने संबंधी मंत्रालय की भूमिका के बारे में मंत्रालय ने अपने उत्तर में चुप्पी साध ली है।

इस तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटीज की संख्या में बेतहाशा वृद्धि को देखते हुए, समिति कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय)कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग (से यह सिफारिश करती है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज के सेंट्रल रजिस्ट्रार, मल्टीस्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पंजीकरण हेतु आवेदन की जांच करते समय बहुत अधिक सतर्क रहें तथा किसी विशेष कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा प्रस्तुत उप विधियों को अनुमोदन देने से पहले पंजीकरण कराने वाली सोसाइटी द्वारा सौंपे गए सभी संगत दस्तावेजों की अच्छी तरह से जांच सुनिश्चित करने हेतु पूरी सावधानी बरतें। मंत्रालय को कोई ऐसा तंत्र भी विकसित करना चाहिए जो ऐसी सोसाइटी की प्रबंधन समिति के प्रवर्तकों/सदस्यों के विगत कार्यों को सत्यापित कर सके और इस बात का पता लगा सके कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के वित्तीय मामलों का नियंत्रण कोई बिल्डर अथवा कोई बेईमान कार्टेल तो नहीं कर रहा है।

समिति को यह भी समझ में आया है कि एमएससीएस एक्ट 2002 की विभिन्न उप विधियों के अंतर्गत कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय)कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग/(सेंट्रल रजिस्ट्रार को यह शक्तियां दी गई हैं कि वह ऋणग्रस्त मल्टीस्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के कार्यों की जांच कर सके, उनके बही-खातों का निरीक्षण कर सके तथा जनहित में विशिष्ट मल्टीस्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी को दिशा-निर्देश जारी कर सकें। इस संबंध में समिति का सुझाव है कि बही-खातों की जांच करते समय या उनका निरीक्षण करते समय यदि किसी तरह की वित्तीय अनियमितता जैसे गैर-कानूनी लेनदेन, हस्तांतरण, निधियों/शेयरों का अन्यत्र उपयोग, सदस्यों/निवेशकों की पूर्व जानकारी/सहमति के बिना निवेश किए गए धन का एक स्कीम से किसी दूसरी स्कीम में ट्रांसफर, अग्रिम भुगतान के माध्यम से फर्जी भुगतान आदि जो जमाकर्त्ताओं की गाढ़ी कमाई को गंभीर खतरा पैदा कर सके के संबंध में जरा सा भी संदेह हो तो किसी स्वतंत्र

और जाने-माने लेखाकार के माध्यम से ऐसी दोषी/चूककर्ता कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की विशेष लेखा जांच कराई जानी चाहिए। ऐसी विशेष लेखापरीक्षा किए जाने पर यदि सहकारी समितियों द्वारा कोई वित्तीय अनियमितता किए जाने का पता चलता है तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय)कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग/(केन्द्रीय रजिस्ट्रार तुरंत आवश्यंक और समुचित कार्रवाई शुरु करेगा जिसमें इस मामले में वित्त मंत्रालय/भारतीय रिजर्व बैंक और/अथवा किसी अन्य मंत्रालय/विभाग के परामर्श से सरकारी जांच एजेंसी द्वारा समयबद्ध जांच शामिल है।"

9. सहकारिता मंत्रालय ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया है:-

"पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाली क्रेडिट सोसाइटियों के लिए बहुराज्य सहकारी समिति नियम, 2002 के नियम 3(जी) के तहत निम्नलिखित दस्तावेजों को अनिवार्य कर दिया गया है:-

क. संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के सहकारी समितियों (आरसीएस) के रजिस्ट्रार से अनापत्ति प्रमाण पत्र जहां सोसाइटी के संचालन के प्रस्तावित क्षेत्र का विस्तार है;

ख. राज्य के आरसीएस द्वारा विधिवत प्रमाणित मुख्य प्रमोटर और अन्य प्रमोटरों की पृष्ठभूमि और अन्य क्रेडेंशियल्स का सत्यापन प्रमाण पत्र जहां सोसाइटी का पंजीकृत कार्यालय स्थित होना प्रस्तावित है।

इसके अलावा पंजीकरण के प्रस्तावों की बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के संदर्भ में सावधानीपूर्वक जांच की जाती है। प्रस्ताव की गहन जांच के बाद, सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार द्वारा एक सुनवाई की जाती है, जिसकी संतुष्टि पर प्रस्ताव को पंजीकरण के लिए संसाधित किया जाता है।

बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार, केंद्रीय रजिस्ट्रार धारा 77 के तहत विशेष ऑडिट तभी कर सकता है, जब सरकार के पास उस बहुराज्य सहकारी समिति के 51% से अधिक शेयर हों।

बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 का संशोधन पहले सें ही प्रक्रियाधीन है। साथ ही वर्ष 2021-22 की बजट घोषणा के अनुपालन में बहुराज्य सहकारी समितियों के विकास एवं प्रभावी अनुश्रवण के लिए सहकारी समितियों के केन्द्रीय रजिस्ट्रार का पृथक कार्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव प्रारंभ किया गया है।"

10. प्रतिवेदन के पैरा 33, 34 और 35 में, समिति ने निम्नवत टिप्पणियां/सिफारिशें की थी:-

"<u>परिपक्व जमा राशियों का भुगतान न करने के लिए सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड अथवा किसी अन्य ऐसी सोसाइटी के विरुद्ध शिकायतें</u>

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग) द्वारा समिति को सूचित किया गया था कि पिछले पांच वर्षों में सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, लखनऊ और अन्य सहकारी समितियों के खिलाफ सदस्यों से जमाओं का भुगतान न किए जाने की अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं। समिति यह नोट कर क्षुब्ध है कि मंत्रालय ने निर्रथक और दुरुह उत्तर दिया है और वह सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, लिमिटेड अथवा किसी अन्य उसी तरह की सोसाइटी के विरुद्ध परिपक्व जमाओं का भुगतान न किए जाने के संबंध में सदस्यों/निवेशकों से प्राप्त शिकायतों का विशिष्ट ब्यौरा/संख्या बता पाने में असफल रहा है। मंत्रालय द्वारा समिति को आगे सूचित किया गया था कि किसी सदस्य/निवेशक से शिकायत प्राप्त होने पर केंद्रीय रजिस्ट्रार के पास

उपलब्ध पहला तर्कसंगत उपाय यह है कि वह सोसाइटी से सदस्यों/निवेशकों के देय का भुगतान करवाए जो सोसाइटी के पास एक अवसर है कि वह सुधारात्मक कार्रवाई करे इससे पहले कि केंद्रीय रजिस्ट्रार एनएससीएस अधिनियम, 2002 की धारा 108 के अंतर्गत निरीक्षण करने के आदेश देने जैसे अन्य उपाय करे और अंतत: इस अधिनियम की धारा 86 के सोसाइटी समिति को बंद करने की कार्रवाई करे। इस संबंध में समिति कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग) को सचेत करना चाहती है कि मंत्रालय को सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, लखनऊ सहित चूककर्ता बहुराज्य के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए शिकायतों का देर लगने का इंतजार नहीं करना चाहिए। अत: समिति मंत्रालय से सिफारिश करती है कि बहुराज्य कोऑपरेटिव सोसाइटी के विरुद्ध परिपक्व जमाओं का भुगतान न करने की शिकायतों के बारे में एमएससीएस अधिनियम, 2002 के अंतर्गत मौजूदा नियमों/आदेशों/मार्गनिर्देशों के अनुसार त्वरित रुप से आवश्यक और समुचित कार्रवाई करे। समिति को सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, लखनऊ और अन्य कोऑपरेटिव सोसाइटी के विरुद्ध सदस्यों/निवेशकों से जमाओं का भुगतान न किए जाने की शिकायतों के ब्यौरे की प्रतीक्षा है।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग) द्वारा दिए गए प्रमाणों के अनुसार समिति नोट करती है कि सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, लखनऊ द्वारा जमाओं का भुगतान न किए जाने के विरुद्ध सदस्यों/निवेशकों से प्राप्त शिकायतों के आधार पर सोसाइटी को 9.12.2019 और 21.1.2020 को सुनवाई के लिए बुलाया गया था जिसमें सोसाइटी के प्रबंध निदेशक ने बताया कि 30.11.2019 तक मूलधन और उस पर देय हुए ब्याज सहित कुल 15,360 खातों के संबंध में कुल 43.59 करोड़ रुपए अतिदेय था। इन 43.59 करोड़ रुपए में से 38.16 करोड़ रुपए की राशि की अनेक

योजनाओं के विस्तार के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं और इस प्रकार 31.12.2019 की स्थिति के अनुसार शेष अतिदेय राशि 5.43 करोड़ रुपए थी।

श्री वेद प्रकाश माथुर के अभ्यावेदन के संबंध में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग) ने समिति के समक्ष निवेदन किया कि याचिका समिति से प्राप्त संदर्भाधीन अभ्यावेदन कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के दिनांक 4.2.2020 के पत्र द्वारा इस निर्देश के साथ सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, लखनऊ को भेजा गया था कि वह मानदंडों के अनुसार निवेशकों को तत्काल जमाओं का भुगतान करे। तदनन्तर, 7.8.2020 को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग) के प्रतिनिधियों के मौखिक साक्ष्य के दौरान समिति को सूचित किया गया था कि अभ्यावेदनकर्ता श्री वेद प्रकाश माथुर को उनकी परिपक्व जमाओं के 33 लाख रुपए का भुगतान किया गया था। समिति के हस्तक्षेप के परिणामस्वरुप सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, लखनऊ द्वारा अभ्यावेदनकर्ता को उसके परिपक्व जमाओं के धन का भुगतान होने के संबंध में मंत्रालय के प्रयासों की सराहना करते हुए समिति को आशा और विश्वास है कि अब तक उन्हें बाकी देय राशि का भी भुगतान हो गया होगा। इस संबंध में समिति कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग) से सिफारिश करती है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, लखनऊ द्वारा न केवल अभ्यावेदनकर्ता को बल्कि अन्य सदस्यों/निवेशकों को भी उनके अतिदेयों का शीघ्र भुगतान करने के लिए सभी अपेक्षित आवश्यक और समुचित कार्रवाई शुरु करने के लिए अपनी ओर से प्रयास करे। समिति आगे मंत्रालय से सिफारिश करती है कि वह बहुराज्य कोऑपरेटिव सोसाइटी के विरुद्ध परिपक्व जमाओं का भुगतान न होने के संबंध में सदस्यों/निवेश्कों से प्राप्त

शिकायतों की जांच करे और समुचित रुप से सभी सोसाइटीज को निर्देश दे कि वह बिना किसी और विलंब या बहानेबाजी के अपने सदस्यों/निवेशकों को उनके अतिदेय भुगतान जारी करें।"

11. सहकारिता मंत्रालय ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया है:-

"इस कार्यालय को सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड; स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड; हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड जैसी बहुराज्य सहकारी समितियों द्वारा परिपक्व जमा राशि का भुगतान न करने के संबंध में 1.5 लाख से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई हैं। सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार के कार्यालय में प्राप्त ऐसी शिकायतों को निवेशकों को जमा की गई राशि को चुकाने के निर्देश के साथ संबंधित समितियों को अग्रेषित किया जाता है। संबंधित सोसाइटी के मामले में, बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 की धारा 86 के तहत कार्रवाई की जाती है, और यदि आवश्यक हो तो सोसाइटी को बंद करने के आदेश पारित किए जाते हैं।

सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड; सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड; स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड को बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम की धारा 86 के तहत व्यक्तिगत सुनवाई के लिए बुलाया गया था, क्योंकि वे इस कार्यालय से अनुस्मारक के बावजूद शिकायतकर्ताओं को भुगतान करने में विफल रहे। इन सोसाइटियों के प्रबंधन को पुनर्भुगतान सुनिश्चित करने के लिए समयबद्ध कदम उठाने का निर्देश दिया गया था। उन्हें समय पर पुनर्भुगतान सुनिश्चित करने के लिए शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत और सुव्यवस्थित करने का भी

निर्देश दिया गया है। चूंकि, भुगतान न करने के संबंध में कोई ठोस उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था, सोसाइटियों को नई जमाराशियां लेने और मौजूदा जमाराशियों का नवीनीकरण करने से भी रोक लगाई गई है। इन समितियों ने नई दिल्ली/तेलंगाना के माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और उन पर लगाए गए प्रतिबंध पर अंतरिम रोक लगा दी। मामला अभी न्यायाधीन है।

बहुराज्य सहकारी समितियों द्वारा परिपक्व जमाराशियों का भुगतान न करने के संबंध में केंद्रीय रजिस्ट्रार के कार्यालय में प्राप्त शिकायतों को निवेशकों को जमा की राशि चुकाने के निर्देश के साथ संबंधित समितियों को अग्रेषित किया जाता है। श्री वेद प्रकाश माथुर ने सूचित किया है कि उन्होंने सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड से **48.25** लाख रुपये की राशि वसूल की है। शेष राशि के भुगतान हेतु श्री माथुर को तत्काल देय राशि का भुगतान करने के लिए निदेशों के साथ सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड को दिनांक **30.03.2021** की पत्र संख्या आर-**11017/48/2018**-एल एंड एम (पार्ट) जारी किया गया है।"

12. प्रतिवेदन के पैरा **36** में, समिति ने निम्नवत टिप्पणियां/सिफारिशें की थी:-

"<u>बहुराज्य कोऑपरेटिव सोसाइटीज के कार्यों से संबंधित जमाओं के पुनर्भुगतान के लिए शिकायतों और अन्य विवादों के समाधान के लिए शिकायत निवारण तंत्र</u>

समिति ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग ने दिनांक 13.06.2019 के अपने पत्र के द्वारा सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, लखनऊ को निर्देश दिया कि जमाओं के पुनर्भुगतान के लिए शिकायतों के समाधान के लिए शिकायत समाधान तंत्र को सुदृढ़ और सुचारु करने के लिए समयबद्ध कदम उठाए। साथ ही

13.12.2019 को इसी तरह के निर्देश सहारयन यूनिवर्सल बहुउद्देशीय सोसाइटी लिमिटेड, भोपाल, 9.12.2019 को स्टार बहुउद्देशीय कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, हैदराबाद और 6.12.2019 को भी हुमारा इंडिया क्रेडिट सहकारिता समिति लिमिटेड, कोलकाता को भी जारी किए गए थे। इस संदर्भ में समिति का दृढ़ मत है कि एक सहकारिता सदस्य शिकायत निवारण मंच स्थापित किए जाने की आवश्यकता है जो बहुराज्य सहकारी समितियों द्वारा अपने सदस्यों/निवेशकों को जमा राशियों का भुगतान न करने के कारण उत्पन्न होने वाले विवादों का निर्णय करने के अतिरिक्त उनसे संबंधित मामलों जैसे व्यवसायिक मुद्दों प्रबंधन कार्यों या सहकारी समितियों को किन्हीं अन्य गतिविधियों का भी पारदर्शी, निष्पक्ष और समयबद्ध तरीके से समाधान करेगा जिससे सदस्यों/निवेशकों के मुद्दों का त्वरित समाधान हो सकेगा।"

13. सहकारिता मंत्रालय ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया है:-

"सहकारी सिद्धांतों के अनुसार, सहकारिता अपने सदस्यों द्वारा नियंत्रित लोकतांत्रिक संगठन हैं, जो अपनी नीतियों और निर्णय लेने में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। इन सहकारी समितियों के निर्वाचित प्रतिनिधि अपने सदस्यों के प्रति उत्तरदायी और जवाबदेह होते हैं। सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य सदस्यों के हितों के लिए काम करना है और उनकी आर्थिक और सामाजिक बेहतरी को बढ़ावा देना है।

मंत्रालय इसके सदस्यों के प्रति प्रबंधन की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए नियम और दिशानिर्देश तैयार करता रहा है। इसके अलावा, बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 में संशोधन विचाराधीन है।

वर्ष 2021-22 की बजट घोषणा के अनुपालन में बहुराज्य सहकारी समितियों के विकास एवं प्रभावी निगरानी के लिए सहकारी समितियों के केन्द्रीय

रजिस्ट्रार के पृथक कार्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव की पहल की गई है।"

14. प्रतिवेदन के पैरा 37 और 38 में, समिति ने निम्नवत टिप्पणियां/सिफारिशें की थी:-

"बहुराज्य कोऑपरेटिव सोसाइटी, अधिनियम, 2002 में संशोधन

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग) द्वारा दी गई जानकारी से समिति यह नोट कर आश्चर्यचकित है कि बहुराज्य कोऑपरेटिव सोसाइटी अधिनियम, 2002 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि भारतीय रिजर्व बैंक या वित्त मंत्रालय सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, लखनऊ सहित बहुराज्य सहकारिता समिति का वैधानिक निरीक्षण कर सके। साथ ही इस अधिनियम की धारा 123 के प्रावधानों के अनुसार किसी बहुराज्य कोऑपरेटिव सोसाइटी के मामले में ही किया जा सकता है जिसमें स्पष्टीकरण खंड दिया हुआ हो अर्थात् धारा 123 के प्रयोजनों के लिए 'विशिष्ट बहुराज्य कोऑपरेटिव सोसाइटी' का अर्थ कोई भी बहुराज्य सहकारी समिति है जिसमें दत्त अंश पूंजी या कुल शेयर का 51 प्रतिशत से अन्यून केन्द्र सरकार के पास हो। आगे समिति यह नोट कर हतप्रभ है कि उक्त अधिनियम में फोरेन्सिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति का न तो कोई प्रावधान है और न ही इसमें दोषी बहुराज्यकोऑपरेटिव सोसाइटी के विरूद्ध पुलिस अधिकारियों के पास आर्थिक अपराध का मामला दर्ज होने हेतु कोई तंत्र मौजूद है। इस तथ्य पर विचार करते हुए कि प्रमुख वित्तीय माध्यस्थमों यथा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, कुछ गैर बैंककारी वित्त कंपनियों (एनबीएफसी) को बैंककारी (विनियमन) अधिनियम द्वारा विनियमित किया जाता है जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक विनियामक है, जबकि बहुराज्यकोऑपरेटिव सोसाइटी के

मामले में, जो कि ऋण प्रदान कर अथवा बैंक के रूप में कार्य कर एक महत्वपूर्ण वित्तीय माध्यस्थम के रूप में कार्य करती है, समिति का विचार है कि ऐसे सख्त प्रावधानों के नहीं रहने के कारण बहुराज्यकोऑपरेटिव सोसाइटी अधिनियम, 2002 में कुछ असंगतियां एवं कमियां हैं। यह समिति का सुविचारित मत है कि उक्त अधिनियम की धारा 23 के संबंध में व्याख्या खंड से किसी दोषी/चूककर्ता राज्य सहकारी समिति बोर्ड के अधिक्रमण की अवधारणा भ्रामक तथा निरर्थक है। अत: समिति को आशा और विश्वास है कि मंत्रालय उपर्युक्त पहलुओं पर आगे विचार करेगा और उसे समय-समय पर जारी किए जाने वाले अपने आदेशों/दिशा-निर्देशों में स्थान देगा।

इस तथ्य के होते हुए भी कि देश में सहकारिता आंदोलन कोई नया नहीं है और यह स्वतंत्रता पूर्व समय से ही विद्यमान है, समिति यह महसूस करती है कि वर्तमान बदलते आर्थिक माहौल में, साथ ही हाल के वर्षों में 'वित्तीय समावेशन' पर सरकार द्वारा ध्यान केन्द्रित किए जाने के पहलू पर विचार करते हुए, कोऑपरेटिव सोसाइटी सर्वाधिक दूरस्थ क्षेत्रों, ग्रामीण जनता तथा समाज के वंचित वर्गों तक पहुंचने के लिए वित्तीय माध्यस्थम की भूमिका निभा सकती है। इस संदर्भ में, समिति यह अपेक्षा करती है कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग) को देश में सहकारी समितियों को बढ़ावा देने तथा उनका विकास करने में एक अग्रणी तथा जिम्मेदार भूमिका निभानी चाहिए तथा बहुराज्यकोऑपरेटिव सोसाइटी जो बिलियनों निवेशकों/सदस्यों की वित्तीय आवश्यकताएं पूरी करती हैं, के कार्य के प्रबंधन तथा निगरानी गुरूत्तर दायित्व भी निभाना चाहिए। इस संबंध में, समिति यहां यह उल्लेख करना आवश्यक समझती है कि राज्य के एक नीति निर्देशक सिद्धांत में यह लिखा है कि "राज्य से अपेक्षित है कि वह सहकारी समितियों के स्वैच्छिक

गठन, स्वायत्त प्रकार्य, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा वृत्तिक प्रबंधन को बढ़ावा दे।" आर्थिक परिदृश्य में गत्यात्मकता पर तथा समय-समय पर बहुराज्यकोऑपरेटिव सोसाइटी को संचालित करने वाले संशोधन(संशोधनों) की आवश्यकता पर विचार करते हुए समिति का सुझाव है कि उन अन्य देशों जहां सहकारी आंदोलन अधिक सफल रहा है, के सहकारी कानूनों में वर्तमान संकेतों की मदद से कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग सफल सहकारिताओं के आदर्श (मॉडल) का व्यापक अध्ययन कर सहकारिता के संवर्धन तथा विकास हेतु उत्कृष्ट परिपाटियों का विश्लेषण करें। तकनीकी विधायी संशोधन (संशोधनों/ रूपांतर (रूपांतरों) द्वारा उनका अभिज्ञान, चयन और समावेशन करें तथा इन्हें सहकारिता के प्रधान सिद्धांतों यानि स्वैच्छिक तथा खुली सदस्यता, लोकतांत्रिक नियंत्रण, सदस्य आर्थिक सहभागिता, स्वायत्ता, प्रशिक्षण तथा सूचना, सहकारिताओं में सहयोग तथा समुदाय का ख्याल आदि पर समझौता किए बिना राष्ट्रीय सहकारिता नीति में शामिल करें।"

15. सहकारिता मंत्रालय ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया है:-

"वर्ष **2021-22** की बजट घोषणा के अनुपालन में बहुराज्य सहकारी समितियों के विकास एवं प्रभावी निगरानी के लिए सहकारी समितियों के केन्द्रीय रजिस्ट्रार का पृथक कार्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव प्रारंभ किया गया है।

सहकारी सिद्धांतों के अनुसार, सहकारी समितियां एक लोकतांत्रिक संगठन है, जिसे उनके सदस्यों द्वारा संचालित किया जाता है, और जो अपनी नीतियों को बनाने और निर्णय लेने में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। इन सहकारी समितियों के निर्वाचित प्रतिनिधि अपने सदस्यों के प्रति उत्तरदायी और जवाबदेह होते हैं। समाज का मुख्य उद्देश्य सदस्यों के हितों के लिए काम करना और उनकी आर्थिक और सामाजिक उन्नति को बढ़ावा देना है।

एक नया सहकारिता मंत्रालय बनाया गया है जो देश में सहकारिता प्रवृत्ति को सुदृढ़ करने और जमीनी स्तर तक इसकी पहुंच को सुदृढ़ करने में एक लंबे समय तय सहायक होगा।

इसके अलावा, बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 में संशोधन विचाराधीन है।"

टिप्पणियां/सिफारिशें

सहकारिता मंत्रालय और सहकारी सोसाइटियोंके केंद्रीय रजिस्ट्रार द्वारा कड़े नियमों, विनियमों और दिशा-निर्देशों को तैयार किया जाना

16. याचिका समिति ने इस अभ्यावेदन की जांच करते हुए बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 की विभिन्न धाराओं के तहत प्रावधानों का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया था, जिसमें बोर्ड और सहकारी समिति के मुख्य कार्यकारी की शक्तियों और कार्यों के संबंध में प्रावधान सहित बहुराज्य सहकारी सोसाइटीके पंजीकरण से लेकर चूककर्ता सोसाइटी को समाप्त करने तक की बात कही गई थी और पाया कि यद्यपि केंद्रीय रजिस्ट्रार के पास , बहुराज्य सहकारी सोसाइटीके संबंध में 'सांविधिक पंजीकरण प्राधिकरण' होने के नाते, विभिन्न वार्षिक रिटर्न/रिपोर्टों इत्यादि को अनिवार्य रूप से दाखिल करके सोसाइटी के बोर्ड यानी निदेशक मंडल/शासी निकाय और मुख्य कार्यकारी के कामकाज की निगरानी के लिए व्यापक पर्यवेक्षी और नियामक शक्तियां निहित हैं । सोसाइटी के व्यावसायिक मामलों के संबंध में अधीक्षण और सोसाइटी के व्यवसाय के दैनिक प्रबंधन पर केंद्रीय रजिस्ट्रार की शक्ति सीमित प्रतीत होती है। केंद्रीय रजिस्ट्रार की सांविधिक शक्तियों और ' प्रयोज्य शक्तियों ' के बीच इस प्रकार की अपारदर्शी असमानता को ध्यान में रखते हुए समिति को विश्वास था कि सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड सहित विभिन्न सहकारी समितियां एक तरफ अपनी मेहनत से कमाए गए धन को भोले-भाले ग्राहकों से ठगने के लिए चालाक तरीके ईजाद करने में सक्षम हैं, और दूसरी ओर कुछ तकनीकी पहलू पर कानून से सफलतापूर्वक बच रही हैं । समिति ने यह भी पाया था कि सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के अपराध को अलग-थलग नहीं देखा जाना चाहिए बल्कि पिछले दो-तीन दशकों के दौरान अधिकांश सहकारी सोसाइटियोंद्वारा निर्मित संपूर्ण दलदल को अब कुशल और

सरल तरीके से विनियमित किए जाने की आवश्यकता है । इसलिए समिति ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग) से कड़े नियम, विनियम और दिशा-निर्देश तैयार करके अभेद्य उपाय बनाने की पुरजोर सिफारिश की थी ताकि गरीब और मध्यम आय वर्ग के लोगों के साथ कोई धोखा न किया जा सके ।

17. अपने की गई कार्रवाई उत्तरों में सहकारिता मंत्रालय ने अन्य बातों के साथ-साथ यह बताया है कि सहकारी सिद्धांतों के अनुसार, सहकारी समितियां अपने सदस्यों द्वारा नियंत्रित लोकतांत्रिक संगठन हैं, जो अपनी नीतियां बनाने और निर्णय लेने में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं । इन सहकारी सोसाइटियोंके निर्वाचित प्रतिनिधि अपने सदस्यों के प्रति उत्तरदायी और जवाबदेह होते हैं। सोसाइटियों का मुख्य उद्देश्य सदस्यों के हित की सेवा करना और उनकी आर्थिक और सामाजिक बेहतरी को बढ़ावा देना है। देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने और जमीनी स्तर तक इनकी पहुंच के लिए एक नया सहकारिता मंत्रालय बनाया गया है । इसके अलावा, वर्ष 2021-22 की बजट घोषणा के अनुपालन में बहुराज्य सहकारी सोसाइटियोंके विकास और प्रभावी निगरानी के लिए केंद्रीय सहकारी सोसाइटियोंके केंद्रीय रजिस्ट्रार कार्यालय की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है।

18. समिति देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने और जमीनी स्तर तक अपनी पहुंच को मजबूत करने के लिए एक अलग सहकारिता मंत्रालय बनाने के सरकार के निर्णय की सराहना करती है । समिति को यह नोट कर संतोष हुआ है कि बजट घोषणा (2021-22) के अनुपालन में बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों के विकास और प्रभावी निगरानी के लिए केंद्रीय सहकारी सोसाइटियोंके केंद्रीय रजिस्ट्रार कार्यालय की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव भी किया गया है ।

19. हालांकि समिति इस बात पर प्रसन्न नहीं है कि एक वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी मंत्रालय द्वारा कड़े नियम, विनियम और दिशा-निर्देश तैयार करने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं ताकि गरीब और मध्यम आय वर्ग के लोगों को बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों द्वारा आगे कोई धोखा न दिया जा सके । इसलिए समिति अपनी पूर्व की सिफारिश को पुरजोर तरीके से दोहराती है कि सहकारिता मंत्रालय समयबद्ध तरीके से कड़े नियम, विनियम और दिशा-निर्देश तैयार करे ताकि गरीब और मध्यम आय वर्ग के लोगों के साथ आगे कोई धोखा न करे । समिति इस संबंध में की गई ठोस कार्रवाई से अवगत होना चाहेगी।

<u>सभी बहुराज्य ऋण सहकारी सोसाइटियों द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन</u>

20. अपने सदस्यों/निवेशकों के प्रति बहुराज्य ऋण सहकारी सोसाइटी की जवाबदेही के मुद्दे की जांच करते हुए समिति को **3-7-2017** के परिपत्र के बारे में सूचित किया गया था, जिसमें सभी बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों (सहकारी बैंकों को छोड़कर) को की शाखा के प्रवेश द्वार पर एक संदेश प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया था कि-बहुराज्य सहकारी समितियां अपने सदस्यों के प्रति जवाबदेह स्वायत्त सहकारी संगठनों के रूप में कार्य कर रही हैं न कि केंद्रीय रजिस्ट्रार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का प्रशासनिक नियंत्रण में हैं। इसलिए, जमाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपने जोखिम पर के प्रदर्शन के आधार पर जमा निवेश के लिए निर्णय लें। केंद्रीय रजिस्ट्रार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय इन जमाओं के लिए कोई गारंटी प्रदान नहीं करता है । इस संबंध में समिति ने कहा था कि बहुराज्य सहकारी समिति के लिए यह

अनिवार्य है कि वह अपने जमाकर्ताओं/निवेशकों/सदस्यों के साथ किसी अस्पष्टता या अनुचित प्रस्ताव रहित पारदर्शी व्यावसायिक संबंध बनाए । इस तथ्य के बावजूद कि इन सहकारी सोसाइटियोंकी स्वायत्तता के संबंध में एक संदेश प्रदर्शित करने से किसी भी प्रकार से वांछित परिणाम उत्पन्न नहीं हुआ था और निर्दोष निवेशकों को इनमें से अधिकांश सहकारी सोसाइटियोंद्वारा लगातार ठगा गया था । इसलिए समिति ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग) से आग्रह किया था कि सभी सहकारी सोसाइटियोंको निर्देशित/निर्देश दिया जाये , चाहे वह केंद्रीय रजिस्ट्रार के साथ पंजीकृत हो या राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सहकारी सोसाइटियोंके रजिस्ट्रार के साथ, अपने 'पंजीकरण प्राधिकरण' और सहकारी सोसाइटियोंके मामलों में किसी भी सरकारी प्राधिकरण की गैर-जवाबदेही को न केवल स्थानीय/क्षेत्रीय भाषा में बल्कि सार्वजनिक सूचना के माध्यम से दृश्य मीडिया में भी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करे।

21. उपर्युक्त सिफारिश के अनुसार सहकारिता मंत्रालय ने समिति को सूचित किया है कि एक परिपत्र संख्या आर-11017/12 (1)/2021-एलएंडएम दिनांक 25.06.2021 जारी किया गया है जिसमें सभी बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों को सोसाइटी के प्रवेश द्वार और उसकी शाखाओं और उनकी वेबसाइट,यदि कोई हों, पर निम्नलिखित जानकारी प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया था,:-

"बहुराज्य सहकारी समितियां स्वायत्तशासी सहकारी संगठन के रूप में कार्य कर रही हैं और वह अपने सदस्यों के प्रति जवाबदेह हैं न कि सेंट्रल रजिस्ट्रार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन हैं । इसलिए जमा कर्ताओं/सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वह अपने जमा धन के निवेश के बारे में सोसाइटी के प्रदर्शन के आधार पर अपने जोखिम पर स्वयं

निर्णय लें । केन्द्रीय रजिस्ट्रार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय इन जमा राशियों के बारे में किसी तरह की कोई गारंटी नहीं देता है । "

22. ऋण गतिविधियों के लिए पंजीकृत सभी बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों(बैंकों को छोड़कर) को आगे परिपत्र के माध्यम से निर्देशित किया गया था कि वे पिछले पैरा के अनुसार उल्लिखित जानकारी के साथ-साथ निम्नलिखित जानकारी को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करें, जिसे सार्वजनिक सूचना जारी करके दृश्य मीडिया में भी प्रसारित किया जाए:-

"अपनी "रजिस्टरिंग अथॉरिटी" तथा कोऑपरेटिव सोसाइटी के मामलों में किसी सरकारी प्राधिकारी की कोई जवाबदेही न होना'

ऋण गतिविधियों के लिए पंजीकृत बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों के अलावा, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग) द्वारा सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों सभी सहकारी सोसाइटियों के सभी रजिस्ट्रारों को उन सभी सहकारी समितियों (बैंकों को छोड़कर) जो उनके क्षेत्राधिकार, के तहत पंजीकृत हैं और जहाँ ऋण तंत्र है, को दिनांक 25.06.2021 का उपर्युक्त परिपत्र इस अनुरोध के साथ निर्देशित किया गया था, कि वे इस संदेश को समान रूप से प्रदर्शित करें तथा इसमें लोकसभा की याचिका समिति की सिफारिश के अनुपालन में इसकी निगरानी करने का अनुरोध किया गया था ।

23. समिति कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग) द्वारा एक परिपत्र जारी करने के लिए किए गए प्रयासों को स्वीकार करती है जिसमें निदेश दिया गया है कि सभी बहुराज्य सहकारी सोसाइटियोंको समिति के प्रवेश द्वार और उसकी शाखाओं और उनकी वेबसाइट, यदि कोई हों, पर आवश्यक जानकारी प्रदर्शित करने का और सार्वजनिक सूचना के माध्यम से दृश्य मीडिया में अपनी स्थानीय/क्षेत्रीय भाषा(ओं) में वांछित जानकारी प्रदर्शित करने के लिए भी निर्देश दिया गया था ताकि इन सहकारी सोसाइटियोंके बहुमत से निर्दोष निवेशकों को ठगा जाने से बचाने के मूल उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सोसाइटी और उसके जमाकर्ताओं/निवेशकों/सदस्यों के बीच किसी अस्पष्टता या अनुचित प्रस्ताव से रहित एक पारदर्शी व्यावसायिक संबंध हो सके ।

24. तथापि समिति की सुविचारित राय है कि सभी बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों को सोसाइटी के प्रवेश द्वार और उसकी शाखाओं आदि पर आवश्यक जानकारी प्रदर्शित करने का निर्देश देने संबंधी परिपत्र जारी करने से वांछित परिणाम प्राप्त नहीं होंगे जब तक कि सभी संबंधितों द्वारा ईमानदारी से इसका अनुपालन नहीं किया जाता इसलिए समिति सहकारिता मंत्रालय से आग्रह करती है कि वह उनके द्वारा जारी निदेश(शों)/दिशानिर्देश(शों)/निर्देश(शों) का प्रभाव देखने के लिए विश्लेषण करे और सभी संबंधितों द्वारा उनका कड़ाई से अनुपालन भी सुनिश्चित करे ।

<u>बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम,, 2002 में समयबद्ध तरीके से संशोधन</u>

25. समिति ने बहु-राज्यीय सहकारी सोसाइटियों के अधीक्षण और कामकाज पर नियंत्रण के लिए केंद्रीय रजिस्ट्रार की अवशिष्ट/समग्र शक्तियों और राज्यों/संघ

राज्य क्षेत्रों की सहकारी सोसाइटियोंके रजिस्ट्रार को प्रत्यायोजित शक्तियों का अवलोकन करते हुए तथा धोखाधड़ी/वित्तीय अनियमितताओं में शामिल किसी भी बहुराज्य सहकारी समिति के अपराध की पहचान करने और उन्हें विनियमित करने में उनकी विशिष्ट भूमिका पर मंत्रालय की चुप्पी, परिपक्वता पर सावधि जमा राशि का भुगतान न करना/विलंबित भुगतान, रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम 2016 (रेरा) के तहत परियोजना के पूर्व पंजीकरण के बिना किसी भी परियोजना में किसी भी भूखंड या अपार्टमेंट खरीदने के लिए किसी भी तरह से भोले-भाले ग्राहकों को आमंत्रित करने और/या बिना स्वीकृत लेआउट योजना और सक्षम प्राधिकरण से प्राप्त अनुमोदन और ऐसी सहकारी सोसाइटियोंकी बेतहाशा वृद्धि, को ध्यान में रखते हुए, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग) से सिफारिश की थी कि यह सुनिश्चित किया जाये कि केंद्रीय सहकारी सोसाइटियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के पंजीकरण के लिए आवेदन पर विचार और जांच करते समय, अधिक सतर्क रहें और विशेषकर किसी विशेष सहकारी समिति द्वारा दायर उप-कानूनों का अनुमोदन करने से पहले उनके द्वारा प्रस्तुत सभी संबंधित दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक जांच सुनिश्चित करने के लिए उचित सावधानी बरतें समिति ने आगे सिफारिश की थी कि मंत्रालय को ऐसी सोसाइटियों की प्रबंध समिति के प्रवर्तकों/सदस्यों के पूर्ववर्ती विवरण को सत्यापित करने के लिए कुछ तंत्र भी तैयार करना चाहिए ताकि यह उजागर किया जा सके कि क्या कोई बिल्डर या बेईमान कार्टेल सहकारी सोसाइटियोंके वित्तीय मामलों को नियंत्रित नहीं कर रहा है ।

26. बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 की विभिन्न उप विधियों के अंतर्गत कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग)/केन्द्रीय रजिस्ट्रार को यह शक्तियां दी गई हैं कि वह ऋणग्रस्त बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के कार्यों की जांच कर सके, उनके बहीखातों का

निरीक्षण कर सके तथा जनहित में विशिष्ट बहुराज्य सहकारी समिति को दिशा-निर्देश जारी करने के संबंध में समिति ने मंत्रालय को सुझाव दिया था कि बही खातों की जांच करते समय या उनका निरीक्षण करते समय यदि किसी तरह की वित्तीय अनियमितता जैसे गैरकानूनी लेनदेन, हस्तांतरण, निधियों/शेयरों का अन्यत्र उपयोग, सदस्यों/निवेशकों की पूर्व जानकारी/सहमति के बिना निवेश किए गए धन का एक स्कीम से किसी दूसरी स्कीम में ट्रांसफर, अग्रिम भुगतान के माध्यम से फर्जी भुगतान आदि जो जमाकर्त्ताओं की गाढ़ी कमाई ख़तम होने का गंभीर खतरा पैदा कर सके, के संबंध में जरा सा भी संदेह हो तो किसी स्वतंत्र और जाने-माने लेखाकार के माध्यम से ऐसी दोषी/चूककर्ता सहकारी सोसाइटियोंकी विशेष लेखा जांच कराई जानी चाहिए।ऐसी विशेष लेखापरीक्षा किए जाने पर यदि सहकारी सोसाइटियों द्वारा कोई वित्तीय अनियमितता किए जाने का पता चलता है तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग)/केन्द्रीय रजिस्ट्रार तुरंत आवश्यक और समुचित कार्रवाई शुरु करना चाहिए जिसमें इस मामले में वित्त मंत्रालय/भारतीय रिजर्व बैंक और/अथवा किसी अन्य मंत्रालय/विभाग के परामर्श से सरकारी जांच एजेंसी द्वारा समयबद्ध जांच शामिल है।

27 समिति यह नोट कर संतुष्ट है कि सहकारिता मंत्रालय ने क्रेडिट सोसाइटी द्वारा पंजीकरण के लिए आवेदन देते समय बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 के नियम 3(छ) के अधीन निम्नलिखित दस्तावेजों को अनिवार्य बताया है जैसा कि उसके द्वारा की गई कार्रवाई उत्तरों में बताया गया है:-

(क) जहां पर सोसाइटी का प्रस्तावित प्रचालन क्षेत्र है उस राज्य और संघ राज्य क्षेत्र को ऑपरेटिव सोसाइटी के रजिस्ट्रार से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र;

(ख) जिस राज्य में सोसाइटी का प्रस्तावित कार्यालय स्थापित किया जाना है उस राज्य के सहकारी सोसाइटियोंके रजिस्ट्रार द्वारा विधिवत प्रमाणित, मुख्य प्रायोजक और अन्य प्रायोजकों की पृष्ठभूमि और उनके बारे में अन्य जानकारी का सत्यापन प्रमाण पत्र।

28. सहकारिता मंत्रालय ने यह भी बताया है कि पंजीकरण के लिए प्रस्तावों की बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों के संदर्भ में जांच की गई है तथा उनके पंजीकरण की प्रक्रिया सहकारी सोसाइटियोंके केंद्रीय रजिस्ट्रार की संतोषजनक प्रतिक्रिया पर ही आगे बढ़ाई जाएगी । बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 के प्रावधानों के अनुसार केंद्रीय रजिस्ट्रार धारा 77 के अधीन विशेष लेखा परीक्षा तभी कर सकता है जब सरकार का उस बहु राज्य सहकारी समिति में 51 प्रतिशत से अधिक शेयर हो। सहकारिता मंत्रालय ने समिति को अवगत कराया है कि बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 में संशोधन की प्रक्रिया चल रही है।

29. समिति इच्छा व्यक्त करती है कि बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 में आवश्यक संशोधन(नों) की प्रक्रिया को मंत्रालय के स्तर पर शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता है ताकि संगत संशोधन विधेयक संसद के अगले सत्र में पुर: स्थापित किया जा सके। इसलिए समिति पुनः एक बार सहकारिता मंत्रालय से आग्रह करती है कि बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 में संशोधन की प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए द्रुतगामी रणनीति बनाए। यह पता करने के लिए कि कोई बिल्डर या बेईमान लोगों का गठजोड़ सहकारी सोसाइटियों के वित्तीय मामलों को नियंत्रित तो नहीं कर रहा है समिति एक बार पुनः मंत्रालय से

इन सोसाइटियोंकी प्रबंधन समिति के प्रायोजकों/सदस्यों के भूतपूर्व विवरण को सत्यापित करने हेतु कोई तंत्र बनाने का आग्रह करती है समिति इस दिशा में सहकारिता मंत्रालय द्वारा किए गए प्रयत्नों से अवगत होना चाहती है ।

<u>उच्च न्यायालयों के आदेशों का अनुपालन</u>

30. मंत्रालय द्वारा तत्काल प्रतिनिधित्व की जांच करते समय दी गई जानकारी के आधार पर समिति ने नोट किया था कि पिछले पांच वर्षों में सहारा क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, लखनऊ और अन्य सहकारी समितियों के खिलाफ सदस्यों से जमा राशि का भुगतान न किए जाने की कई शिकायतें मिली हैं । इस संबंध में समिति ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग) को आगाह किया था कि मंत्रालय को शिकायतों की संख्या बढ़ने का इंतजार नहीं करना चाहिए और फिर सहारा क्रेडिट को-ऑपरेटिव लिमिटेड, लखनऊ सहित बकायेदार बहुराज्य सहकारी समिति के खिलाफ कार्रवाई शुरू करनी चाहिए और इसलिए मंत्रालय को एमएससीएस अधिनियम, 2002 के अंतर्गत मौजूदा नियम/आदेश/दिशा-निर्देशों के तहत, यदि किसी बहुराज्य सहकारी समिति के विरुद्ध परिपक्व जमा राशि का भुगतान न करने के संबंध में कोई शिकायत मिलती है , तो यथाशीघ्र सभी आवश्यक और उचित कार्रवाई/उपाय करने की सिफारिश की थी । समिति ने मंत्रालय से सहारा क्रेडिट को-ऑपरेटिव लिमिटेड, लखनऊ और अन्य सहकारी समितियों के खिलाफ प्राप्त सदस्यों/निवेशकों से जमा राशि का भुगतान न करने संबंधी शिकायतों और उस पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा भी अग्रेषित करने का अनुरोध किया था।

31. समिति ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग) को यह सुनिश्चित करने के लिए कि न केवल प्रतिनिधित्ववादी बल्कि अन्य सदस्यों/निवेशकों को भी सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव लिमिटेड लखनऊ द्वारा शीघ्रता से किए जाने वाले अतिदेय भुगतानों को शीघ्रता से करने के लिए सभी आवश्यक और उचित कार्रवाई शुरू करने हेतु प्रयास करने की सिफारिश की थी । इसी संदर्भ में, समिति ने मंत्रालय से अन्य बहुराज्य सहकारी समितियों के विरुद्ध परिपक्व जमाओं का भुगतान न करने के संबंध में सदस्यों/निवेशकों से प्राप्त शिकायतों की जांच करने और ऐसी सभी समितियों को बिना किसी विलम्ब या बहाने के अपने सदस्यों/निवेशकों को अतिदेय भुगतान जारी करने के लिए उचित रूप से निर्देशित करने की भी सिफारिश की थी ।

32. समिति की उपरोक्त सिफारिशों के प्रत्युत्तर में सहकारिता मंत्रालय ने अपनी की गई कार्रवाई उत्तर में यह प्रस्तुत किया है कि सहारा क्रेडिट को-ऑपरेटिव लिमिटेड, सहारयन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज लिमिटेड , स्टार्स मल्टीपर्पज सहकारिता लिमिटेड, हुमारा इंडिया क्रेडिट को-ऑपरेटिव लिमिटेड और कुछ अन्य समितियां जैसी बहुराज्य सहकारी समितियों द्वारा परिपक्व जमा राशि का भुगतान न करने के संबंध में केंद्रीय सहकारी समिति रजिस्ट्रार के कार्यालय को डेढ़ लाख से अधिक शिकायतें मिली हैं। केंद्रीय सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार कार्यालय में प्राप्त ऐसी शिकायतें निवेशकों को जमा राशि लौटाने के निर्देश के साथ संबंधित सोसाइटियों को भेज दी जाती हैं। बकायेदार सोसाइटियों के मामले में एमएससीएस अधिनियम, 2002 के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है और यदि आवश्यक हो तो को समाप्त करने के लिए आदेश पारित किए जाते हैं।

33. सहकारिता मंत्रालय ने आगे सूचित किया है कि सहारा क्रेडिट को-ऑपरेटिव लिमिटेड, सहारयन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज लिमिटेड , स्टार्स मल्टीपर्पज सहकारिता लिमिटेड, हुमारा इंडिया क्रेडिट को-ऑपरेटिव लिमिटेड को

एमएससीएस अधिनियम की धारा 86 के अंतर्गत व्यक्तिगत सुनवाई के लिए बुलाया गया था, क्योंकि वे अनुस्मारकों के बावजूद शिकायतकर्ताओं को भुगतान करने में विफल रहे थे । इन सोसाइटियों के प्रबंधन को पुनर्भुगतान सुनिश्चित करने के लिए समयबद्ध कदम उठाने का निर्देश दिया गया। उन्हें समय पर पुनर्भुगतान सुनिश्चित करने के लिए शिकायत निवारण तंत्र को सुदृढ़ और सुव्यवस्थित करने का भी निर्देश दिया गया। चूंकि, भुगतान न करने के संबंध में कोई ठोस उत्तर नहीं दिया गया था, इसलिए सोसाइटियों को नई जमा राशि लेने से और मौजूदा जमाओं का नवीकरण करने रोका गया है । इन सोसाइटियों ने नई दिल्ली और तेलंगाना उच्च न्यायालयों का दरवाजा खटखटाया और उन पर लगाए गए प्रतिबंध पर अंतरिम रोक लगा दी गई । फिलहाल मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

34. श्री वेद प्रकाश माथुर के अभ्यावेदन के संबंध में सहकारिता मंत्रालय ने यह भी सूचित किया है कि उन्होंने सहारा क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड से 48.25 लाख रुपये की राशि की भुगतान वसूली की है। और शेष राशि केभुगतान के लिए सहारा क्रेडिट को-ऑपरेटिव लिमिटेड को पत्र संख्या आर-11017/48/2018-एलएंडएम (भाग) दिनांक 30.03.2021 को श्री माथुर को भुगतान की गई देय राशि का तत्काल भुगतान करने के निर्देशों के साथ जारी किया गया है।

35. यधपि समिति यह जानकर प्रसन्न है कि सहकारिता मंत्रालय ने उन सोसाइटियों की खिंचाई की, जो शिकायतकर्ताओं को भुगतान करने में विफल रही थी और उन्हें एमएससीएस अधिनियम, 2002 की धारा 86 के अंतर्गत व्यक्तिगत सुनवाई के लिए बुलाया और इन सोसाइटियों के प्रबंधन को समय पर पुनर्भुगतान सुनिश्चित करने और शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत और सुव्यवस्थित करने के लिए समयबद्ध कदम उठाने का निर्देश दिया ,लेकिन दूसरी ओर सहारा क्रेडिट

को-ऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा श्री वेद प्रकाश माथुर को देय राशि का भुगतान किया जाना बाकी है जिसके लिए सहारा क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड को पत्र संख्या आर-11017/48/2018-एलएंडएम (भाग) दिनांक 30.03.2021 पहले ही श्री माथुर को देय राशि का भुगतान तत्काल करने के निर्देश के साथ जारी किया जा चुका है। इसलिए समिति ने अपनी पूर्व की सिफारिशों को जोरदार ढंग से दोहराया और सहकारिता मंत्रालय से आग्रह किया कि वह सभी आवश्यक और उचित कार्रवाई शुरू करने के लिए प्रयास करे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सहारा क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, लखनऊ द्वारा न केवल प्रतिनिधित्ववादी बल्कि अन्य सदस्यों/निवेशकों को भी अतिदेय भुगतान शीघ्रता से किया जाए । समिति ने अपनी पूर्व सिफारिश को दोहराया और मंत्रालय से आग्रह किया कि वह अन्य बहुराज्य सहकारी समितियों के विरुद्ध परिपक्व जमाओं का भुगतान न करने के संबंध में सदस्यों/निवेशकों से प्राप्त शिकायतों की जांच करे और ऐसी सभी समितियों को बिना किसी विलम्ब या बहाने के अपने सदस्यों/निवेशकों को अतिदेय भुगतान जारी करने के लिए उचित रूप से निर्देशित करे ।

36. समिति आशा करती है कि ऐसे मामलों के अंतत: सहकारिता मंत्रालय तक पहुंचने की स्थिति में नई दिल्ली और तेलंगाना उच्च न्यायालयों के आदेशों का सही भावना के साथ अनुपालन सुनिश्चित करेगा। समिति को मामले से संबंधित निर्णय की प्रतीक्षा है तथा समिति यह भी चाहती है कि सहकारिता मंत्रालय इस संबंध में उसे अवगत करे।

<u>बहुराज्य सहकारी सोसाइटी की अपने सदस्यों/निवेशकों के प्रति जवाबदेही</u>

37. वर्तमान अभ्यावेदन की जांच करते हुए समिति का दृढ़ मत था कि व्यावसायिक मुद्दों, प्रबंधन संबंधी मामलों अथवा सहकारी सोसाइटियों की किसी अन्य गतिविधियों के अलावा बहुराज्य सहकारी सोसाइटी द्वारा अपने सदस्यों/निवेशकों को जमा राशि का भुगतान न करने से उत्पन्न विवादों पर पारदर्शी, तटस्थ और समयबद्ध तरीके से निर्णय लेने के लिए 'सहकारी सदस्य शिकायत निवारण फोरम' स्थापित करने की आवश्यकता है जिससे सदस्यों/निवेशकों को त्वरित समाधान प्रदान किया जा सके।

38. समिति के उपर्युक्त अवलोकन के प्रत्युत्तर में सहकारिता मंत्रालय ने अपनी की गई कार्रवाई उत्तर में यह जानकारी प्रदान की कि सहकारिता सिद्धांतों के अनुसार, सहकारी सोसाइटी अपने सदस्यों द्वारा नियंत्रित होने वाले लोकतांत्रिक संगठन हैं जो अपनी नीतियां और निर्णय लेने में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। इन सहकारी सोसाइटियों के निर्वाचित प्रतिनिधि अपने सदस्यों के प्रति उत्तरदायी और जवाबदेह होते हैं। सोसाइटियों का मुख्य उद्देश्य सदस्यों का हित करना और उनकी आर्थिक और सामाजिक बेहतरी को बढ़ावा देना है। मंत्रालय अपने सदस्यों के प्रति प्रबंधन की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए नियम और दिशा-निर्देश तैयार करता रहा है। इसके अलावा बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 में संशोधन पर विचार किया जा रहा है। वर्ष 2021-22 की बजट घोषणा के अनुपालन में बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों के विकास और प्रभावी निगरानी के लिए केंद्रीय सहकारी सोसाइटियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार कार्यालय की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव लाया गया है।

39. समिति को आशा है कि सहकारिता मंत्रालय द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों द्वारा अपने सदस्यों/निवेशकों को जमा राशि का भुगतान न करने से उत्पन्न विवादों पर निर्णय लिया जाए जिससे ऐसे मामलों को समयबद्ध तरीके से निपटाया जाए तथा व्यावसायिक मुद्दों, प्रबंधन संबंधी मामलों अथवा सहकारी सोसाइटियों की किसी अन्य गतिविधियों को पारदर्शी, तटस्थ

तथा समयबद्ध तरीके से पूरा करने, जैसे कदमों से सदस्यों/निवेशकों को त्वरित समाधान प्राप्त हो सकेगा। समिति सहकारिता मंत्रालय द्वारा इस मामले में की गई कार्रवाई से भी अवगत होना चाहेगी।

<u>सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड सहित बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों का सांविधिक निरीक्षण</u>

40. वर्तमान अभ्यावेदन की विस्तृत जांच के दौरान समिति ने नोट किया कि बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 में ऐसा कोई उपबंध नहीं है, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक या वित्त मंत्रालय सहारा क्रेडिट सहकारी लिमिटेड, लखनऊ सहित किसी भी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी का सांविधिक निरीक्षण कर सके। समिति ने यह भी नोट किया कि अधिनियम में न तो फोरेंसिक संपरीक्षकों की नियुक्ति का कोई प्रावधान है न ही कदाचार करने वाली किसी भी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के विरुद्ध पुलिस प्राधिकारियों के समक्ष 'आर्थिक अपराध' का मामला दर्ज करने के लिए किसी प्रणाली का उल्लेख है।

41. इस तथ्य पर विचार करते हुए कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, कुछ गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों (एनबीएफसी) जैसे सभी प्रमुख वित्तीय मध्यवर्तियों को बैंकिंग (विनियमन) अधिनियम द्वारा विनियमित किया जाता है, जहां भारतीय रिजर्व बैंक विनियामक है, जबकि किसी बहुराज्य सहकारी समिति के मामले में, जो ऋण प्रदान करते तथा बैंक के रूप में कार्य करते हुए एक महत्वपूर्ण मध्यवर्ती की भूमिका भी निभाता है, समिति का मानना था कि ऐसे कड़े प्रावधानों के अभाव के कारण बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 में कुछ विसंगतियां और कमियां मौजूद हैं। इसलिए समिति ने सिफारिश की थी कि उक्त सभी पहलुओं पर मंत्रालय

द्वारा आगे विचार किया जाना चाहिए और उन्हें समय-समय पर मंत्रालय द्वारा जारी किए जा रहे आदेशों/दिशा-निर्देशों में भी स्थान मिलना चाहिए।

42. इसके अलावा वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में गतिशीलता और समय-समय पर बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों का नियमन करने वाले संशोधन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए समिति ने मंत्रालय को उन दूसरे देशों के सहकारी विधानों में वर्तमान रुझानों को देखने का सुझाव दिया था, जहां सहकारी आंदोलन अधिक सफल रहे हैं। कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग सफल सहकारी सोसाइटियों के कार्य मॉडल का विस्तृत अध्ययन करे और सहकारी संवर्धन और विकास के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं का विश्लेषण करे ताकि उनकी पहचान कर, उनका चयन कर विधायी संशोधन के माध्यम से उन्हें शामिल किया जा सके और सहकारी सोसाइटियों के प्रमुख सिद्धांतों अर्थात स्वैच्छिक और खुली सदस्यता, लोकतांत्रिक सदस्य नियंत्रण, सदस्यों की आर्थिक सहभागिता, स्वयात्यता, प्रशिक्षण और जानकारी, सहकारियों के बीच समन्वय तथा समुदाय के प्रति चिंता आदि से समझौता किए बिना सहकारी सोसाइटियों को राष्ट्रीय नीति में भी शामिल किया जा सके।

43. समिति की उपरोक्त सिफारिशों के क्रम में सहकारिता मंत्रालय ने सूचित किया है कि वर्ष 2021-22 की बजट घोषणा के अनुपालन में बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों के विकास और प्रभावी निगरानी के लिए केंद्रीय सहकारी सोसाइटियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार कार्यालय की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव किया गया है। सहकारी सिद्धांतों के अनुसार, सहकारी समितियां अपने सदस्यों के नियंत्रण वाले लोकतांत्रिक संगठन हैं जो अपनी नीतियों और निर्णय लेने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। इन सहकारी सोसाइटियों के निर्वाचित प्रतिनिधि अपने सदस्यों के प्रति उत्तरदायी और जवाबदेह होते हैं। सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य सदस्यों का हित और उनकी आर्थिक और सामाजिक बेहतरी को बढ़ावा देना है। एक नया सहकारिता मंत्रालय बनाया गया है जो देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूती

प्रदान करने तथा जमीनी स्तर तक इसकी पहुंच बढ़ाने की दिशा में सहायक होगा। इसके अलावा बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 में संशोधन पर विचार किया जा रहा है।

44. अपने की गई कार्रवाई उत्तर में सहकारिता मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी को ध्यान में रखते हुए समिति सहकारिता मंत्रालय से यह सिफारिश करती है कि बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 में संशोधन करते समय इन सहकारी सोसाइटियों के सदस्यों/निवेशकों में सुरक्षा की भावना जगाने के लिए बैंकिंग (विनियमन) अधिनियम की तर्ज पर प्रस्तावित बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 में समुचित उपबंधों का समावेशन करते हुए सहारा क्रेडिट सहकारी सोसाइटी लिमिटेड सहित किसी भी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के सांविधिक निरीक्षण से जुड़ी समस्या का समाधान करने हेतु प्रयास किया जाए।

समिति अपने पूर्व सुझाव को दोहराते हुए मंत्रालय से आग्रह करती है कि वह सहकारी संवर्धन और विकास के लिए सफल सहकारी सोसाइटियों के कार्य मॉडल का विस्तृत अध्ययन करे और सर्वोत्तम प्रथाओं का विश्लेषण करे ताकि उनकी पहचान कर, उनका चयन कर विधायी संशोधन के माध्यम से उन्हें शामिल किया जा सके और सहकारी सोसाइटियों के प्रमुख सिद्धांतों अर्थात स्वैच्छिक और खुली सदस्यता, लोकतान्त्रिक सदस्य नियंत्रण, सदस्यों की आर्थिक सहभागिता, स्वायत्तता, प्रशिक्षण और जानकारी, सहकारिताओं के बीच समन्वय तथा समुदाय के प्रति चिंता आदि से समझौता किए बिना, समयबद्ध तरीके से, सहकारी सोसाइटियों को राष्ट्रीय नीति में भी शामिल किया जा सके। समिति को इस संबंध की गई आवश्यक कार्रवाई से भी अवगत कराया जाए।

नई दिल्ली;

22 दिसंबर, 2021

1 पौष, 1943 (शक)

श्री हरीश द्विवेदी,

सभापति,

याचिका समिति

अनुबंध-(i)

Annexure-I

No.R-11017/12(1)/2021-L&M
Government of India
Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare
Department of Agriculture, Cooperation and Farmers' Welfare
Cooperation Division (L&M Section)
(Office of Central Registrar of Cooperative Societies)
****

Krishi Bhawan, New Delhi
Dated: 25th June, 2021

CIRCULAR

Sub: Collection of deposits by Multi-State Cooperative Societies -reg.

This office vide circular No. R-11017/19/2017-L&M dated 03.07.2017 directed all Multi-State Cooperative Societies to display the following information at the entrance of the society & its branches and on their website, if any maintained:-

"Multi-State Cooperative Societies are functioning as autonomous cooperative organizations accountable to their members and not under the administrative control of the Central Registrar, Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare. Therefore, the depositors/ members are advised to take decision for investing deposits based on the performance of the society at their own risk Central Registrar, Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare does not provide any guarantee for these deposits."

2) In continuation to above circular, all Multi-State Cooperative Societies (except Banks) registered for credit activities are further directed to conspicuously display the following information in their local/regional language(s) along with the above information:-

"their 'Registering Authority' and Non-accountability of any Government Authority in the affairs of the Cooperative Societies"

3) This information should also be brought in the visual media by way of a Public Notice.

This issues with the approval of Central Registrar of Cooperative Societies.

A Agarwal

(Alok Agarwal)
Director (Cooperation)

Distribution:-

1) All Multi-State Cooperative Societies registered for credit activities.
2) Registrar of Cooperative Societies of all States/ UTs with the request to direct all the cooperative societies (except banks) involving credit mechanism, registered under their jurisdiction to conspicuously display the message in a similar manner stipulated at para 2, above, and to monitor the same in compliance to the recommendation contained in para No. 27 of 13th report of the Committee of Petitions (17th Lok Sabha). A copy of the recommendation of Committee of Petitions is enclosed.
3) Senior programmer, for uploading on the website.